भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3015
08 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:- एमएसपी के लिए कानून

3015. श्री ए. गणेशमूर्ति:
डॉ. संजीव कुमार शिंगरी

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके द्वारा किसानों को निधियां, राजसहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) क्या ऐसी योजनाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष लगभग 50,000 रूपये प्राप्त हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का कृषि उत्पादों को कानूनी अधिकार के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है और सरकार द्वारा किसानों से किए गए वायदे के अनुसार सरकार किसानों को विशेष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी देने वाला कानून कब तक ला पाएगी; और

(ड.) सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कानूनी ढ़ांचे को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसने देश भर में कृषि को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि के विभिन्न पहलुओं संबोधित करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला कार्यान्वित की गई है। योजनाओं के अलावा, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने

और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई पहल की हैं, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में वर्ष 2013-14 में 30,224.38 करोड़ रुपये को बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 1,25,035.79 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि शामिल है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं की सूची अनुबंध पर दी गई है।

(ग) से (ड.) भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। एमएसपी का सुझाव देते समय सीएसीपी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है, जिसमें समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। भूमि, जल और उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण विचार है।

वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने पूर्व निर्धारित सिद्धांत के तहत एमएसपी को उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया। नतीजतन, वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों हेतु एमएसपी उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के मार्जिन के साथ निर्धारित किया गया है।

अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं की सूची

क्र.सं.	**योजना का नाम**
1.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2.	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)
3.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
4.	ब्याज सहायता योजना (आईएसएस)
5.	कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
6.	कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन
7.	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
8.	उप-मिशन कृषि विस्तार (एसएमएई)
9.	उप-मिशन कृषि यंत्रीकरण (एसएमएएम)
10.	उप-मिशन बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी)
11.	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
12.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
13.	कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम)
14.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
15.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)
16.	वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
18.	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
19.	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
20.	बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)
21.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
22.	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

*****